किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संबंध में सूचना पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नानुसार हैः–

"देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत हैः–

(i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है; या

(ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने,

(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं; या

(v) जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

(vi) जिसके माता–पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

(vii) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता–पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं; या

(viii) जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

(x) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

(xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता–पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

राजस्थान पीडित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2015

बालकों के विरूद्ध होने वाले अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुये और पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले ऐसे पीडितों और उनके आश्रितों को प्रतिकर के लिए निधिया उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान पीडित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2015 में प्रावधान किया गया है।

पीडित प्रतिकर निधिः–1. पीडित प्रतिकर निधि नाम से एक निधि गठन किया जायेगा जिसमें से इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की स्कीम पीडित या उसके आश्रितों को संदत्त की जायेगी।

2. राज्य सरकार, प्रतिवर्ष इस स्कीम के लिए एक पृथक बजट आवंटित करेगीं।

3. निधि सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जायेगी।

प्रतिकर की वसूलीः— 1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या , यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि ठीक समझे तो व्यक्ति , जो उसके द्वारा कारित अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी है, से पीडित या उसके आश्रितों को मंजूर किये गये प्रतिकर की वसूली के लिए संबंधित लोक अभियोजक कार्यालय के परामर्श से, सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित करेगा।

2. इस प्रकार वसूली गई रकम पीडित प्रतिकर निधि में निक्षिप्त की जायेगी।

क्र.सं.	हानि या क्षति की विशिष्टिया	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	जीवन हानि	2,00,000/—रू.
2	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता हो गई है।	1,00,000/—रू.
3	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम विकलांगता हो गई है।	5,00,00/—रू.
4	अवयस्क के साथ बलात्संग	3,00,000/—रू.
5	बलात्संग	2,00,000/—रू.
6	पुनर्वास	1,00,000/—रू.
7	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत विकलांगता हो गई है।	25,000/—रू.
8	मानव दुर्व्यापार जैसे मामले में जिसमें महिलाओं और बाल पीडितों को गंभीर मानसिक पीडा कारित करने वाली हानि या क्षति हुई है।	25,000/—रू.
9	बाल पीडित को साधारण हानि या क्षति	20,000/—रू.
10	तेजाब द्वारा सिर या चेहरे की स्थाई विद्रूपिता	2,00,000/—रू.